

[2024] 5 एससीआर 927:2024 आई.एन.एस.सी. 383

अमानतुल्ला खान

बनाम

पुलिस आयुक्त, दिल्ली व अन्य

आपराधिक अपील सं. 2349/2024

(वि.अनु.या.(आप.) सं. 5719/2023 से उत्पन्न)

07 मई 2024

[न्या. सूर्य कांत और न्या. के.वी. विश्वनाथन]

विचारार्थ विवादक

क्या अपीलार्थी के नाबालिग बच्चों और उनकी पत्नी के नाम जिनके खिलाफ कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं है, अपीलार्थी के इतिहास पत्रक में शामिल किए जाने चाहिए।

शीर्ष टिप्पण

पंजाब पुलिस नियम 1934 (जैसा कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होता है), नियम 23.8 और नियम 23.9- हिस्ट्री शीट का प्रारूप- पुराने नियमों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है- 21.03.2024 पर जारी किया गया संशोधित स्थायी आदेश- 'संबंधों और संपर्कों' कॉलम में केवल वे व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर को आश्रय प्रदान कर सकते हैं- अपराध में सहयोगियों, उकसाने वालों और प्रापक के नाम-नाबालिग रिश्तेदारों का कोई विवरण हिस्ट्री शीट में कहीं भी दर्ज नहीं किया जाएगा-जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि नाबालिग ने आश्रय दिया है-मानव गरिमा और जीवन के लिए मूल्य संविधान के अनुच्छेद 21 में गहराई से अंतर्निहित है-अभिव्यक्ति 'जीवन' में स्पष्ट रूप से मानव सम्मान के योग्य जीवन जीने का अधिकार और उसके साथ जाने वाली सभी चीजें शामिल हैं।

अभिनिर्धारित किया गया: अपीलार्थी द्वारा संविधान के अनु. 226 सहपठित दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत रिट याचिका उनके खिलाफ 'हिस्ट्री शीट' को रद्द करने के लिए दायर की गई है-उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज किया गया- निर्णय को चुनौती दी गई- दिनांक 10.06.2022 का मूल स्थायी आदेश 'हिस्ट्री शीट की तैयारी' के तहत प्राचीन पंजाब पुलिस नियम 1934 से प्रतिकृति है- संशोधित स्थायी आदेश दिनांक 21.03.2024 पर जारी किया- कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है: केवल ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल करना जो पुलिस से भागते समय हिस्ट्री शीटर के आश्रय का खर्च उठा सकते हैं- अपराध में सहयोगियों, उकसाने वालों और प्रापकों के नाम शामिल किए जाने हैं- किसी भी नाबालिग रिश्तेदार अर्थात् बेटे, बेटी, भाई-बहन का विवरण कहीं भी दर्ज किया जाएगा-जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि ऐसे नाबालिग ने आश्रय दिया है -किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 का सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा-हिस्ट्री शीट' एक आंतरिक पुलिस दस्तावेज है, जो सार्वजनिक रूप से सुलभ रिपोर्ट नहीं है। [अनुच्छेद 6-7]

आंशिक रूप से अपील को अनुमति- आक्षेपित उच्च न्यायालय के निर्णय में संशोधन किया गया है- संशोधित स्थायी आदेश अवांछनीय को रोकेगा अपीलार्थी के नाबालिग बच्चों का खुलासा-अपीलार्थी के मामले में तुरंत प्रभावी होने वाला संशोधित स्थायी आदेश- पुलिस आयुक्त, दिल्ली को संयुक्त पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के पद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नामित करने, समय-समय पर हिस्ट्री शीट की सामग्री का ऑडिट करने, गोपनीयता सुनिश्चित करने और हिस्ट्री शीट में "संबंधों और संपर्कों" श्रेणी से जांच के दौरान निर्दोष पाए गए व्यक्तियों/बच्चों के नामों को हटाने का निर्देश दिया गया-

संशोधित स्थायी आदेश के विपरीत काम करने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। [अनु. 9-13]

स्वतः संज्ञानात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस अधिकारियों तक कार्यवाही का दायरा बढ़ाया गया-विचार करने के लिए किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से होने के कारण निर्दोष व्यक्तियों के नामों को यांत्रिक रूप से शामिल करने की प्रथा की अवांछनीयता-पुलिस डायरी का आरोप चुनिंदा रूप से बनाए रखा जा रहा है विमुक्त जातियों के व्यक्ति, जो पूरी तरह से जातिगत पूर्वाग्रह पर आधारित हैं- राज्य सरकारें ऐसे समुदायों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निवारक उपाय करती हैं

-पूर्व-परिकल्पित धारणाएं उन्हें 'अदृश्य पीड़ित' बना देती हैं- अक्सर आत्म-सम्मान के साथ जीवन जीने के उनके अधिकार में बाधा डाल सकते हैं- मानव गरिमा और जीवन के लिए मूल्य अनुच्छेद 21 में गहराई से अंतर्निहित है- इसमें मानव सम्मान के योग्य जीवन जीने का अधिकार शामिल है- आत्म-सम्मान, सामाजिक छवि, आसपास के समाज में अपने लिए ईमानदार स्थान, गरिमापूर्ण जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पर्याप्त भोजन, कपड़े और आश्रय। [अनु. 14-15]

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देशित आवधिक लेखा परीक्षा तंत्र-पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं की जांच करने के लिए प्रविष्टियों की समीक्षा और जांच करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण-ऐसी अस्वीकृत प्रथाओं को खत्म करने में मदद कर सकता है-राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जो न्यायालय के समक्ष नहीं हैं- कोई सकारात्मक परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है-

अपनी नीति-व्यवस्था पर फिर से विचार करने और इस बात पर विचार करने का आग्रह किया कि क्या 'दिल्ली मॉडल' के पैटर्न पर उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। [अनु. 16-17]

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; पंजाब पुलिस नियम 1934।

प्रमुख शब्दों की सूची

हिस्ट्री शीट; 'संबंधों और संपर्कों'; अनुच्छेद 21; गरिमा के साथ जीने का अधिकार; मानव सम्मान के योग्य जीवन जीने का अधिकार।

मामला उद्भूत होता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 2349/2024

रि.या.(आप.) सं. 1326/2022 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 19.01.2023 के द्वारा

पक्षकारगण हेतु उपस्थितियाँ

वजीह शफीक, नमन जैन, सुश्री रामशा शान, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

संजय जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता(अति.महा.सा.), सरांश कुमार, शुभेंदु आनंद, उमेश बाबू चौरसिया, कृतग्य कैत, मुकेश कुमार मरोरिया, प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्ता।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या श्री सूर्य कांत,

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसके खिलाफ चलाई गई 'हिस्ट्री शीट' को रद्द करने और थाना जामिया नगर, जिला:दक्षिण-पूर्व, दिल्ली में निगरानी 'रजिस्टर-X, भाग II, बंडल ए' में उसका नाम दर्ज करने के साथ उसे 'दुश्चरित्र' घोषित करने का प्रस्ताव था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 19.01.2023 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज कर दिया जिस कारण इन कार्यवाहियों को बढ़ावा मिला।
3. नोटिस मिलने पर, दिल्ली पुलिस विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय जैन द्वारा पेश हुई जिन्हें हिस्ट्री शीट की कुछ परेशान करने वाली सामग्री से इस हद तक अवगत कराया गया कि यह अपीलार्थी और उसकी पत्नी के स्कूल जाने वाले नाबालिग बच्चों से संबंधित है, जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट में शामिल करने के लिए कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं थी। इसके बाद यह बताया गया कि हिस्ट्री शीटों का प्रारूप पंजाब पुलिस नियम 1934 (संक्षेप में, "1934 नियम") के नियम 23.8 और नियम 23.9 का पालन करते हुए निर्धारित किया गया जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू थे। श्री जैन, प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, हालांकि, पुराने नियमों का फिर से दौरा करने के लिए सहमत हुए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्दोष लोग जो संयोग से एक संदिग्ध के परिवार के सदस्य हैं, उनकी गरिमा, आत्म-सम्मान और गोपनीयता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाए।
4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय जैन ने आज दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा जारी संशोधित स्थायी आदेश सं. एल&ओ/54/2022 को

अभिलेख पर रखा गया है। उपरोक्त स्थायी आदेश 'हिस्ट्री शीटर और दुश्चरित्रों की निगरानी' से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल स्थायी आदेश दिनांक 10.06.2022 पर जारी किया गया था और इसके अनुच्छेद 9(2) को "हिस्ट्री शीट की तैयारी" शीर्षक से 1934 के नियमों के प्रावधानों से दोहराया गया था।

5. दिनांक 21.03.2024 पर जारी संशोधित स्थायी आदेश के साथ पुलिस आयुक्त ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:-

“संबंधों और संपर्कों” के लिए जगह को इस दृष्टि से भरा जाना चाहिए कि उन व्यक्तियों के बारे में सुराग मिल सके जिनके साथ पुलिस द्वारा वांछित होने पर अपराधी द्वारा आश्रय दिए जाने की संभावना है, जिसमें उसके घर से दूर रहने वाले रिश्तेदार या दोस्त और अपराध में उसके सहयोगी, उकसाने वाले और प्रापक शामिल हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि हिस्ट्री शीट में “संबंधों और संपर्कों” के लिए स्थान उन व्यक्तियों की पहचान को दर्शाता है जो उसे आश्रय दे सकते हैं जब अपराधी पुलिस (सामान्य रूप से) से भाग रहा है/वांटेड है और उसे अपराध में अपने सहयोगियों, उकसाने वालों और प्रापक (विशेष रूप से) और किसी भी नाबालिग रिश्तेदार यानी बेटे, बेटी, भाई-बहन का कोई विवरण हिस्ट्री शीट में कहीं भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि विचाराधीन नाबालिग अपराधी को “जब वह पुलिस से भाग रहा था” तब आश्रय दे सकता था या पहले दे चुका था।

हिस्ट्री शीट तैयार करते समय यह भी ध्यान में रखा जा सकता है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के अनुसार कानून से प्रतिकूल बच्चे या एक बच्चे जिसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो या बाल पीड़ित या एक रिपोर्ट आदि द्वारा एक अपराध

के गवाह की पहचान का खुलासा करने पर निषेध है। भले ही हिस्ट्री शीट एक आंतरिक पुलिस दस्तावेज़ है और सार्वजनिक रूप से सुलभ रिपोर्ट नहीं है इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिस्ट्री शीट में केवल उन नाबालिग रिश्तेदारों की पहचान दर्ज की जाए जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं कि विचाराधीन नाबालिग ने इससे पहले अपराधी को आश्रय दिया था, जब वह पुलिस से भाग रहा था।” उपरोक्त के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति के संबंध की विशेष प्रकृति को प्रत्येक के खिलाफ नोट किया जाना चाहिए और जब संबंध के रूप में दिखाए गए व्यक्तियों के खिलाफ खुद हिस्ट्री शीट होते हैं तो उन हिस्ट्री शीटर के साथ एक क्रॉस संदर्भ दिया जाना चाहिए। बि.सी. के अधिकतम सहयोगी/रिश्तेदार/परिचित लोगों के फोन नंबर/मोबाइल नंबर को एकत्र किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड के लिए रखा जाना चाहिए। आधार संख्या, ई.पी.आई.सी. सं., ई-मेल आई.डी., सोशल मीडिया अकाउंट/प्रोफाइल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आई.डी., ट्विटर आई.डी. आदि फाइल में रखे जाने हैं। आगे, बी. सी. के सहयोगियों/रिश्तेदारों/परिचित लोगों के मोबाइल नंबर और अन्य उपलब्ध विवरण एकत्र किए जाने चाहिए और अभिलेख पर रखे जाने चाहिए।”

6. संशोधित स्थायी आदेश से हम पाते हैं कि “संबंधों और संपर्कों” के कॉलम में यह निर्णय लिया गया है कि केवल उन व्यक्तियों की पहचान दिखाई जाएगी जो हिस्ट्री शीटर/दुश्चरित्र के आश्रय का खर्च उठा सकते हैं, जब अपराधी भाग रहा हो/पुलिस द्वारा वांटेड हो और इसमें अपराध में उसके सहयोगियों, उकसाने वाले और **प्रापक** के नाम भी शामिल होंगे। संशोधित स्थायी आदेश में जोर देकर कहा गया है कि किसी भी नाबालिग रिश्तेदार, अर्थात् बेटे, बेटी, भाई-बहन का विवरण हिस्ट्री शीट में कहीं भी दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि ऐसे नाबालिग ने अपराधी को या उससे पहले आश्रय दिया था।

7. दूसरा, संशोधित प्रावधान अब अनिवार्य करता है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 का सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा, जिसके तहत कानून से प्रतिकूल बच्चे या एक बच्चे जिसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो या बाल पीड़ित या एक रिपोर्ट आदि द्वारा एक अपराध के गवाह की पहचान का खुलासा करने पर निषेध है।
8. संशोधित स्थायी आदेश आगे स्पष्ट करता है कि 'हिस्ट्री शीट' एक आंतरिक पुलिस दस्तावेज है और सार्वजनिक रूप से सुलभ रिपोर्ट नहीं है। इसने पुलिस अधिकारियों को आगाह किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिस्ट्री शीट में केवल उन नाबालिग रिश्तेदारों की पहचान दर्ज की जाए जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं कि ऐसे नाबालिग ने पहले अपराधी को आश्रय दिया था जब वह पुलिस से भाग रहा था। संशोधित स्थायी आदेश में फोन नंबर, आधार कार्ड, ई.पी.आई.सी. सं., ई-मेल आई.डी., सोशल मीडिया खातों आदि के विवरण के संबंध में सुरक्षा का भी सुझाव दिया गया है।
9. ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक मामले का संबंध है, प्रत्यर्थीगण द्वारा इस आशय से लिया गया निर्णय कि हिस्ट्री शीट केवल एक आंतरिक पुलिस दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं लाया जाएगा, मुख्य रूप से शुरुआत में हमारे द्वारा व्यक्त की गई चिंता को संबोधित करता है। दूसरा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून के अनुसार भी नाबालिग बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, एक पुलिस अधिकारी द्वारा अब अतिरिक्त देखभाल और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अपीलार्थी की शिकायतों के निवारण के लिए एक आवश्यक कदम है। यह निश्चित रूप से इस मामले में नाबालिग बच्चों को दिए गए अवांछनीय जोखिम को रोकेगा।

10. हम पुलिस अधिकारियों को केवल इतना निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं कि संशोधित स्थायी आदेश दिनांक 21.03.2024 को अपीलार्थी के मामले में भी तुरंत प्रभावी किया जाए।
11. इसके अलावा, हम दिल्ली के पुलिस आयुक्त को संयुक्त पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के पद पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नामित करने का भी निर्देश देते हैं, जो समय-समय पर हिस्ट्री शीटों की सामग्री का ऑडिट/समीक्षा करेगा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगा और ऐसे व्यक्तियों/किशोरों/बच्चों के नामों को हटाने की छूट देगा, जो जांच के दौरान निर्दोष पाए जाते हैं और हिस्ट्री शीट में “संबंधों और संपर्कों” की श्रेणी से निष्कासित होने के हकदार हैं।
12. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि दिल्ली पुलिस के किसी पुलिस अधिकारी ने संशोधित स्थायी आदेश और या ऊपर दिए गए निर्देशों के विपरीत काम किया है, तो ऐसे अपचारी अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
13. उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.01.2023 के आक्षेपित निर्णय को संशोधित किया गया है और तत्काल दाण्डिक अपील का उपरोक्त शर्तों में निपटान किया जाता है।
14. अपीलार्थी की शिकायत को आंशिक रूप से संबोधित करने के बाद, अब हम अपनी स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन कार्यवाहियों के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करने की वांछनीयता पर भी विचार कर सकें कि हिस्ट्री शीट में निर्दोष व्यक्तियों की कोई यांत्रिक प्रविष्टि नहीं की गई है, केवल इसलिए कि वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं और साथ ही जो पिछड़े समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। हालांकि

हम उनकी प्रामाणिकता की डिग्री के बारे में निश्चित नहीं हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ अध्ययन उपलब्ध हैं जो एक अनुचित, पूर्वाग्रहपूर्ण और अत्याचारी मानसिकता के पैटर्न को प्रकट करते हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिस डायरी को केवल जाति के आधार पर विमुक्त जातियों से संबंधित व्यक्तियों के चुनिंदा रूप से रखा जाता है पक्षपात, कुछ हद तक वैसा ही तरीका जैसा औपनिवेशिक काल में हुआ था। इसलिए सभी राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे समुदायों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निवारक उपाय करें। अक्षम्य लक्ष्यीकरण या पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार के अधीन। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये पूर्व-कल्पित धारणाएँ अक्सर उनके समुदायों से जुड़ी प्रचलित रूढ़ियों के कारण उन्हें 'अदृश्य पीड़ित' बना देती हैं, जो अक्सर आत्म-सम्मान के साथ जीवन जीने के उनके अधिकार को बाधित कर सकती हैं।

15. मानव गरिमा और जीवन का मूल्य हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में गहराई से अंतर्निहित है। अभिव्यक्ति 'जीवन' में स्पष्ट रूप से मानव सम्मान के योग्य जीवन जीने का अधिकार और उसके साथ जाने वाला सब कुछ शामिल है। आत्म-सम्मान, सामाजिक छवि और अपने आस-पास के समाज में अपने लिए एक ईमानदार स्थान, एक सम्मानजनक जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पर्याप्त भोजन, कपड़े और आश्रय।
16. ऐसा लगता है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए निर्देशित एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की देखरेख में एक आवधिक लेखा परीक्षा तंत्र, प्रविष्टियों की समीक्षा और जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये किसी भी पूर्वाग्रह या भेदभावपूर्ण प्रथाओं से रहित हैं। लेखापरीक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा, हम ऐसी अस्वीकृत प्रथाओं के उन्मूलन को सुरक्षित

कर सकते हैं और इस वैध आशा को जगा सकते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार अच्छी तरह से संरक्षित है।

17. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने नहीं हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस प्रकार उन्हें कोई सकारात्मक परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, हम विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित मौजूदा नियमों/नीतियों या स्थायी आदेशों से अवगत नहीं हैं। इसलिए, हम इस स्तर पर यह उचित समझते हैं कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी नीति-व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का निर्देश दें और इस बात पर विचार करें कि क्या 'दिल्ली मॉडल' के पैटर्न पर उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस आदेश के अनुच्छेद 14 से 16 में की गई हमारी टिप्पणियों को सही अर्थ में प्रभावी बनाया जा सके।

18. रजिस्ट्री को, तदनुसार, इस निर्णय की एक प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजने का निर्देश दिया जाता है ताकि वे छह महीने के अन्दर ऊपर जो कहा गया है उस पर जल्द से जल्द विचार कर सकें और उसका पालन कर सकें।

19. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान कर दिया जाता है।

मामले का परिणाम: निर्देश के साथ आंशिक रूप से अपील को अनुमति दी गई है।

द्वारा तैयार किए गए *हेडनोट:* आंद्रिता देब, मान. सहायक संपादक
(*सत्यापित-* शिबानी घोष, अधिवक्ता)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.